न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : नंदिनी व्यास
आ.विविध (जमानत) प्रकरण सं. : 185/2025

ऋषिकेश मीणा पुत्र स्व. श्री मुरारी लाल मीणा, उम्र 24 साल, निवासी कोठियावाली की ढाणी, गांव मण्डावरी तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल गली नं. 01, महादेव नगर, एस.के.आई.टी. के पास, जगतपुरा, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर।

———प्रार्थी

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

———अप्रार्थी

(प्र.सू.रि.सं. 420/2024 पुलिस थाना गाधी नगर, जयपुर पूर्व
धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भा.न्या.सं.)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन आदेश

उपस्थिति :

1. श्री फतेहराम मीणा, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लियाकत खान, योग्य लोक अभियोजक, वास्ते सरकार।

आदेश दिनांक 24.01.2025

प्रार्थी/अभियुक्त ऋषिकेश मीणा की ओर से उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता में यह जमानत का आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.12.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है और उसका जमानत आवेदन धारा 480 भा.ना.सु.सं. के अधीन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–02, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 22.01.2025 को अस्वीकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है, प्रार्थी दिनांक 31.12.2024 से अभिरक्षा में है, प्रार्थी ने मुकेश मीना के कहने पर प्रकरण में वर्णित पॉवर ऑफ अटोर्नी स्वयं के नाम करवायी थी, प्रार्थी से किसी प्रकार का अनुसंधान एवं बरामदगी किया जाना शेष नहीं है, प्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण विचारणीय नहीं है, प्रकरण में सहअभियुक्तगण मोहित व भानू की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी का प्रकरण भी सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है, प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलकें पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त तर्कों पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में परिवादी अशोक अग्रवाल द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक परिवादी की पत्नी रेणु अग्रवाल के नाम का फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए परिवादी की पत्नी के प्लॉट का फर्जी विक्रय पत्र बनवाकर उसका पंजीयन करवाने हेतु उपपंजीयक प्रथम जेडीए परिसर के कार्यालय में प्रस्तुत करने का गम्भीर आरोप है, मामला धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता के तहत अनुसंधानाधीन है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.12.2024 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, प्रकरण के शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा सम्पन्न होने में समय लगना सम्भाव्य है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त ऋषिकेश मीना की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. एतद्नुसार स्वीकृत किया जाकर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000/–रूपये का निजी मुचलका एवं उसकी सन्तुष्टि की 25,000/–रूपये की एक सुदृढ़ जमानत (जिसमें जमानती के पहचान पत्र की प्रति पेश होगी) प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(नंदिनी व्यास)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

6. आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नंदिनी व्यास)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

मेघेन्द्र/–